case no. 14276/2022 शासन वि0 अजय कुमार अन्य 2

Witness No. ....03........... for .... अभियोजन साक्षी **....... Deposition taken**

the ...... 30-07-2024 ...... day of मंगलवार **.........Witness's apparent age 48** वर्ष

States on affirmation .---------.शपथपूर्वक ..... my name is **मोह. रफीक**

son/wife of ...----- **अब्दुल रहीम.....** occupation व्यवसाय

address **कोहका, कुरूद जिला दुर्ग**

समय : 12.15 बजे

01 मैं आरोपी अजय कुमार को जानता हू, शेष आरोपीगण तारेकश्वर सिंह एवं श्रीमती विद्यावती देवी को नहीं जानता हूँ। प्रार्थीया नूतन प्रसाद सिंह मेरे मोहल्ले में रहती है, जिसका अजय कुमार के साथ विवाह हुआ था।

02 मैं पुरानी बस्ती कोहका मोहल्ले का पूर्व में पार्षद रहा था। प्रार्थीयाा के घर मेरा आना–जाना था, तथा प्रार्थीया के विवाह में मैं सम्मिलित भी हुआ था। विवाह पश्चात प्रार्थीया के पिता लखन लाल से मेरी मुलाकात हुई थी, तब मैंने उनसे पूछा कि नूतन शादी के बाद अच्छे से है ना और सब कैसा चल रहा है, तब उन्होंने बताया कि नूतन का वैवाहिक जीवन अच्छे से नहीं चल रहा है, तब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तब उन्होंने बताया कि पैसा का डिमांड करते है नूतन को ठीक से खाना पीना नहीं देते है तथा लडके के परिवार वाले प्रार्थीया को प्रताडित करते है। तब मैंने उनसे कहा, कि अपने समाज के माध्यम से बातचीत कर लो, बैठक करा लो। तब उन्होंने बताया, कि शिकायत की जा चुकी है, तथा राजीनामा के लिए भी हम लोगों ने आवेदन दिया हुआ है।

03 उसके बहुत दिन पश्चात फिर मेरी मुलाकात प्रार्थीया के पिता लखन लाल से हुई, तब उन्होंने मुझे बताया कि प्रार्थीया वापस घर आ गयी है। जब मेरी प्रार्थीया से बात हुई थी, तब उसने भी बताया कि अपने पति के साथ बाहर थी, तब भी उसे परेशान किया जाता था। मैंने उक्त घटना के संबंध में पुलिस को बयान दिया था।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती जया श्रीवास्तव अधिवक्ता वास्ते आरोपीगण/–</u>

04 यह कहना सही है कि कंडिका 2 का कथन ''मैं पुरानी बस्ती कोहका मोहल्ले .... लोगो ने आवेदन दिया है'', का कथन आज न्यायालय में पहली बार बता रहा हूॅ। यह कहना सही है कि कंडिका 3 का कथन ''उसके बहुत दिन पश्चात .... परेशान किया जाता था'', का कथन आज न्यायालय में पहली बार बता रहा हूॅ।

05 यह कहना सही है कि मुझे प्रार्थीया ने अपने वैवाहिक जीवन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिये है। मुझे आज याद नहीं है कि मेरा पासपोर्ट साईज का फोटो थाना में खींचा था। स्वतः कहता है कि पासपोर्ट साईज का फोटो लगभग मैं लेकर ही निकलता हॅू, ताकि कहीं भी बयान वयान देना पडता है।

06 यह कहना सही है कि पुलिस वालो ने मुझे बयान देने के संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया था। मुझे याद नहीं है कि पुलिस वाले ने मेरे पासपोर्ट साईज का फोटो मेरे समक्ष चस्पा किये थे या नहीं। यह कहना सही है कि मुख्यपरीक्षण में जो बाते मैंने आज न्यायालय में बतायी उसके अतिरिक्त मुझे और किसी प्रकार की जानकारी नहीं है।

07 मुझे याद नहीं है कि पुलिस वालो ने मेरा कब कथन लिया था। यह कहना सही है कि पुलिस वाले ने मुझसे केवल पासपोर्ट साईज का

फोटो नाम, पता, उम्र पूछकर, लेकर अपने पास रख लिये थे।

08 यह कहना गलत है कि प्रार्थीया के पिता ने मुझे अपनी पुत्री की वैवाहिक जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

समाप्ति समय– 12.30 बजे

वाचित, सत्य, स्वीकृत। **मेरे निर्देश पर टंकित।**

साक्षी का हस्ताक्षर

सही
(श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे)
न्या०मजि०प्रथम श्रेणी, दुर्ग
जिला दुर्ग (छ०ग०)

सही
(श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे)
न्या०मजि०प्रथम श्रेणी, दुर्ग
जिला दुर्ग (छ०ग०)